

# भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

TEN  
RUPEES

Rs.10

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL

NOTARIAL

सहायक न्यायिक अधिकारी  
कोटागांव, देहरादून

- 9 JAN 2012

निर्गत किया  
कोड सं. 001

NOTARAKHAND

11AA 915367

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

प्ररूप-26

(नियम 4क देखिए)

18, धर्मपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

में गोपाल पुरी पुत्र श्री शिव कुमार पुरी आयु 33 वर्ष, जो 25/खदरी मौहल्ला, देहरादून, उत्तराखण्ड का निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं, संपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षक अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं - शून्य

(ii) पुलिस थाना (थाने) शून्य जिला या जिले शून्य राज्य - शून्य

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है - शून्य

*Handwritten signature*

- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गयी – शून्य
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे. – शून्य
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है/हैं.– शून्य
2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से गीन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।  
(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):
- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं – शून्य
- (ii) न्यायालय जिसने दंडित किया है – शून्य
- (iii) पुलिस थाना (थाने) – शून्य जिला (जिले) – शून्य राज्य – शून्य
- (iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे – शून्य
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे – शून्य
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं – शून्य

स्थान: देहरादून

तारीख: 11.01.2012

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

## सत्यापन

मैं, उपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथपत्र में अर्न्तवस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

बर्मपुर, देहरादून स्थान पर आज तारीख 11.01.2012 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर



THIS AFFIDAVIT IS SWORN BEFORE ME BY  
Shri. Bopal Singh  
who is identified by Shri. N. K. JASSAL  
at Dehradun on 11/1/12

N. K. JASSAL  
Advocate & NOTARY, Dehradun  
11/1/12